

6

न्यायालय :- राजू पन्दे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खातेगांव,
जिला देवास म.प्र.

Reg. No... SUM 437/2022
Filing No... 1531/2022
CNR No... MP41050017102022
Filing date... 11/10/22

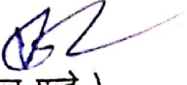
:: निर्णय ::

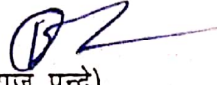
(दिनांक 11/10/2022 को घोषित)

01. आरोपी को धारा 34(1) ब्राब अधि० के अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर उसने उक्त अपराध करना स्वेच्छापूर्वक स्वीकार किया। आरोपी को अभिवाक् अंकित किया गया।
02. आरोपी द्वारा की गई स्वैच्छिक स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपी को धारा 34(1) ब्राब अधि० के अपराध में न्यायालय उठने तक के कारावास की सजा एवं पांच सौ/- अंकन 500/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा ना करने पर आरोपी को उक्त अपराध में 07 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जावे।
03. प्रकरण में जप्तशुदा सशमदी की कुशराब 07 नली अपीलान्वधि पश्चात् अपील ना होने की दशा में नष्ट की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।


(राजू पन्दे)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
खातेगांव, जिला देवास (म0प्र0)


(राजू पन्दे)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
खातेगांव, जिला देवास (म0प्र0)

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 THE CRIMINAL
PROCEDURE CODE, 1898

In The Court Of

Case Sum No- 437

Of 2022

Complaint Or Report Made On 11/10/22

Name and address of the complaint मोग्ग शासन द्वारा आवकारी/थाना

हठगांव

Name, parentage, case and address of accused

नाम :-

रघुनाथ बघेल

पिता का नाम :-

नरखत बघेल

उम्र :-

38 साल

निवासी :-

ग्राम लिंगापानी थाना हठगांव, खातेगांव

The offense complained of and date of its alleged commission

1. आपने दिनांक 09/10/2022 को समय 17:50 बजे स्थान

खानाभऊ रोड ग्राम लिंगापानी पर बिना अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में
लाथीचार्ज की कुल 07 लीटर शराब अवैध रूप से रखे पाए गए। आपका यह

कृत्य धारा 34(1) अ. स. स. अधि. 1915 के अधीन दण्डनीय है एवं इस न्यायालय के संज्ञान में

है।

आप अपना अपराध स्वीकार करते हो या विचारण चाहते हो ?

हैं स्वीकार करते हैं

The plea of the accused and his examination (if any)

आरोपी का अभिवाक:-

मुझे 11/10/22

The offence proved if any, and in cases under clause (d) clause (e) clause (f) or
clause (g), of Sub-section (i) of Section 260 The value Of the property in respect
of which the offence has been committed.